तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<u>एकल पीठ</u> **श्री सूरज भान जैमन, सदस्य** **<u>उपस्थितिः–</u>** श्री योगेन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री एस.के. पुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी। **<u>आदेश</u>** दिनांकः 03 मई, 2019 यह निगरानी धारा 83 सपठित धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायालय कलक्टर एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 01/2006 में पारित आदेश दिनांक 25–8–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2– आलोच्य आदेश से अधीनस्थ न्यायालय ने कलक्टर एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ मु0बीकानेर द्वारा श्री बूडे खां पुत्र पहाड़े खां को पूर्व में दिनांक 26–12–2001 को जारी खातेदारी सनद संख्या 109/27 को निरस्त किया है। 3– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। 4– विद्वान अधिवक्ता प्राथी ने निगरानी मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता बूडे खां को सहायक उप निवेशन आयुक्त, छतरगढ़ द्वारा दिनांक 22–12–1988 को ग्राम चकोसा के चक–3 एस.एस.एम. के मुरब्बा नंबर 135/45 किला नंबर–2 लगायत 8 व 13 लगायत 17 तथा 25 कुल रकबा 13 बीघा, मुरब्बा नंबर 135/53 का किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 कुल रकबा 5 बीघा भूमि अस्थाई आवंटन से पुख्ता आवंटन की गई थी और इस आवंटित भूमि की दिनांक 26–01–2001 को सनद् जारी की गई थी परन्तु इस सनद् को क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर मनीराम अप्रार्थी की झूठी शिकायत पर सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ ने दिनांक 25–8–2006 को निरस्त कर गैर कानूनी भूल की है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 25–7–2000 व दिनांक 09–8–1996 से बूडे खां के आवंटन को निरस्त नहीं किया था बल्कि आवंटन नियम, 1975 के नियम 21 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे इसलिए स्पष्ट है कि सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ के निर्णय दिनांक 25–8–2006 को अपास्त किया था। 5– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क दिया कि बूडे खां को किला नंबर 135/45 व 135/53 का कभी भी अस्थाई आवंटन हुआ ही नहीं था इसलिए दिनांक 22–12–1988 का पुख्ता आवंटन क्षेत्राधिकारविहीन था जिसके विरूद्ध अप्रार्थी मनीराम ने 1975 के नियमों के नियम 23–ए के अन्तर्गत अपील, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष की थी। अपील दिनांक 09–8–1996 को स्वीकार हुई थी और दिनांक 09–8–1996 के निर्णय के विरूद्ध नजरसानी मांगे खां ने प्रस्तुत की थी, जो दिनांक 25–7–2000 को खारिज हुई इसलिए दिनांक 25–7–2000 का निर्णय और 09–8–1996 के निर्णय के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों की अनुपालना में बूडे खां की सनद् दिनांक 26–12–2001 को खारिज करने के लिए जिला कलक्टर एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ द्वारा पारित ओदश दिनांक 25–8–2006 इसलिए क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है क्योंकि यह सनद् दुर्व्यपदेशन से प्राप्त की गई है। अतः निगरानी संधारणीय नहीं होने से खारिज की जावे। 6– प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रश्नगत भूमि का अस्थाई आवंटन मनीराम को होने का कोई प्रमाण नहीं है। मनीराम भूमिहीन व्यक्ति नहीं है इसलिए प्रश्नगत भूमि में से अस्थाई आवंटन होने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। उसके द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष धारण की गई अपील संधारणीय ही नहीं थी एवं उस अपील में बूडे खां की प्रारिम्भक आपत्तियों पर भी विचार नहीं किया गया तथा नजरसानी प्रार्थनापत्र को भी बाला–बाला खारिज कर दिया गया, जो Travesty of Justice है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	7– हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 8– सर्वप्रथम हम मनीराम अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 348/1992 मनीराम बनाम बूडे खां में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09–8–86 के पृष्ठ संख्या–2 के अन्तिम पैरा की प्रथम तीन पंक्तियों को यहां दर्शाना उचित समझते हैं, जो निम्न प्रकार हैंः– ''हमनें पक्षकारान की बहस सुनी एवं संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट को विवादग्रस्त भूमि आवंटित है या उसके पिता को आवंटित है इस प्रकार का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार अपीलांट कोई प्रभावित पक्षकार नहीं है और इस अपील द्वारा कोई रिलीफ नहीं दी जा सकती।'' 9– राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित उक्त पंक्तियों पर विचार करने से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि विवादित भूमि मनीराम को आवंटित नहीं हुई थी और मनीराम की बूडे खां के लिए पुख्ता आवंटन दिनांक 22–12–1988 के विरूद्ध अपील करने की भी काई Locus standi नहीं थी, और वह प्रभावित पीड़ित व्यक्ति भी नहीं था। इसी दिनांक 09–8–1996 के निर्णय की अंतिम पांच पंक्तियो में यह अंकित किया गया हैं :– ''सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ़ को यह आदेश दिया जाता है कि वह आवंटन नियम 1975 के नियम 21 के अन्तर्गत उपरोक्त आवंटन निरस्त करे।'' 10– इस पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि बूडे खां का किये गये आवंटन दिनांक 22–12–1988 को अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी (इ0गा0न0प0) बीकानेर द्वारा स्वयं के स्तर पर निरस्त नहीं किया गया बल्कि सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ को आवंटन नियम, 1975 के नियम 21 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 का नियम 21 निम्न प्रकार है :– **21. आवंटन का रद्दकरण** – यदि किसी समय यह मालूम हो कि इन नियमों के अधीन किया गया सरकारी भूमि का आवंटन, आवंटी द्वारा पेश किये गये आवेदन में या शपथ–पत्र में या किसी अन्य दस्तावेज में दिये गये तथ्यों के गलत विवरण पर हुआ है, तो आवंटन प्राधिकारी ऐसे आवंटन को रद्द करने का आदेश दे सकेगा और किसी प्रतिकर का संदाय किये बिना भूमि में पुनः प्रवेश करने तथा उसका कब्जा लेने का कोई भी आदेश दे सकेगा [और पहले से संदत्त की गयी किश्तों की राशि समपहृत की जायेगा]: परन्तु ऐसा कोई आदेश, उससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा। 11– परन्तु सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ की पत्रावली संख्या 01/2006 मनीराम बनाम मृतक बूडे खां में पारित आदेश दिनांक 25–8–2006 के द्वारा अंतिम दो पैरा के अनुसार बूडे खां के आवंटन आदेश दिनांक 22–12–1980 को अपास्त नहीं किया है बल्कि सनद् संख्या 109/27 दिनांक 26–12–2001 को निरस्त करने का आदेश दिया है। उक्त नियम 21 में ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिसके अन्तर्गत पुख्ता आवंटन के पश्चात नियमानुसार जारी की गई सनद को निरस्त किये जा सकने की सक्षमता सहायक आयुक्त उपनिवेशन को दी हुई है। इससे स्पष्ट है कि सहायक आयुक्त उपनिवेशन द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 25–8–2006 क्षेत्राधिकार के बाहर दिया गया आदेश है। यह भी स्पष्ट है कि मनीराम अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 16–03–2006 (मु0नंबर 01/2006) संधारणीय भी नहीं था क्योंकि न तो उसे Locus standi है और न ही सनद् को निरस्त करने के प्रावधान ही हैं। इसलिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 83 सपठित धारा 9 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई निगरानी में उठाये गये तथ्य सारपूर्ण होने से निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	12– परिणामतः निगरानी स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय कलक्टर एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–8–2006 अपास्त किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सूरजभान जैमन)** **सदस्य**	